सुविधा का संतुलनः– प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पुत्र के नाऔलाद फौत होने पर वादग्रस्त आराजी में उनके माता पिता का हक हिस्सा पर सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अतः सायलान का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी सायलान के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः**– प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही गैरसायलान द्वारा भू–अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी आगे किसी अन्य को बेचान व हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं सायलान को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। गैरसायल संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा सायलान के हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वर्णनानुसार अपने खातेदारी की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायलान** को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम बेडकलां पटवार हल्का बेडकलां में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 663 रकबा 3–09 बीघा (0.5584 हेक्टेयर) किस्म बारानी अव्वल का रहन, बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाक 29.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)